

9.5.18

पञ्जाब की राज्य सरकार (राजधानी) में पंजाब के पञ्जाब
 का समाप्त पूर्व का आवधिकार किमा गमा) राज्य सरकार
 (पञ्जाब) के अनुकार ग्राम ^{सोकराला की दानी} के ग्राम ख.न. 565, 566
 567, 570, 571, 573, 582, 583, 4899/572, 4902/585
 किला-10 गुम रकबा 2.39 हे. के वारीगण एवं प्रतिवादीगण
 स्वातेदार कास्तरकार दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त वारीगण ग्राम
 संयुक्त स्वातेदारी ग्राम ही तथा विधिवत विभाजन नहीं
 हुआ है। प्रतिवादी गण के द्वारा लजाव दवा मम काउण्टर
 कलेम में उक्त वारीगण के राज्य सरकार रिकार्ड में दर्ज
 हिस्सा एवं कब्जा के अनुकार रास्ते का ^{आवधान} ~~खिला~~
 रखते हुए विधिवत विभाजन न्याया है। धारा 53
 के आवधान अनुकार कब्जा वारीगण एवं प्रतिवादीगण राज्य
 रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुकार विभाजन करवाने के
 अधिकारी हैं।

आदेश

वाकपम स्वीकार किमा जाता है तथा आधिकारिक डिक्री इस आशय की दी जाती
 है कि ग्राम सोकराला की दानी के ग्राम ख.न. 565, 566, 567, 570, 571
 573, 582, 583, 4899/572, 4902/585 का वारीगण एवं प्रतिवादीगण
 का राज्य सरकार रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुकार रास्ते का आवधान
 रखते हुए विधिवत विभाजन किमे जाने का आदेश दिया जाता है। अनुकार
 एडवोकेट दार उदयपुरवादी उममपक्षकारान की आस्थिति में विभाजन अस्ताव
 लभार करे तथा मम लक्ष्य के दो प्रतिभों में ब्याभावम दवा में ~~अस्ताव~~
 पञ्जाब की कंसल गुरु नर होवर ममवर से काम से तथा दारिद्र्य दफ्तर से

पञ्जाब सरकार
 कंसल गुरु नर
 होवर ममवर से काम से